

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश।

संख्या—एम०ई०—३ / पीजी—२०२४ /

लखनऊ:दिनांक ०४ जुलाई, २०२४

यू०पी० नीट— एम०डी०एस० २०२४ की प्रथम चक की ऑनलाइन काउन्सिलिंग मे प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना / निर्देश

- ❖ नीट एम०डी०एस०—२०२४ की प्रवेश परीक्षा में सफल घोषित किए गये अभ्यर्थी ही यू०पी० नीट एम०डी०एस० २०२४ की काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु अर्ह है।
- ❖ नीट एम०डी०एस० २०२४ की काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करने वाले समस्त अर्ह अभ्यर्थियों द्वारा विभागीय वेबसाइट <https://upneet.gov.in> पर लॉगिन कर पंजीकरण किया जायेगा।
- ❖ अभ्यर्थी द्वारा पंजीकरण शुल्क ₹० 3,000/-— ऑनलाइन के माध्यम से जमा किया जाना अनिवार्य है। पंजीकरण शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जायेगा अर्थात् पंजीकरण शुल्क (Non Refundable) है।
- ❖ अभ्यर्थियों द्वारा निम्नांकित तालिका में उल्लिखित सिक्योरिटी धनराशि ऑन—लाइन माध्यम से जमा किया जाना अनिवार्य है। अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थी च्वाइस फिलिंग हेतु अर्ह नहीं होंगे:—

क०सं०	विवरण	धरोहर धनराशि (Security Money)
1	राजकीय क्षेत्र की एम०डी०एस० पाठ्यक्रम की सीटों हेतु	₹० 30,000 (रु० तीस हजार मात्र)
2.	निजी क्षेत्र की एम०डी०एस० पाठ्यक्रम सीटों हेतु	₹० 1,00,000 (रु० एक लाख मात्र)

- ❖ काउन्सिलिंग में प्रतिभाग किये जाने हेतु धरोहर धनराशि (Security Money) ₹० 1,00,000 जमा करने पर अभ्यर्थी राजकीय/निजी दोनों क्षेत्र के डेन्टल कालेजों की सीटों हेतु अर्ह होंगे।
- ❖ अभ्यर्थियों द्वारा जमा की गयी सिक्योरिटी धनराशि किसी भी दशा में शिक्षण शुल्क में समायोजित नहीं की जायेगी।
- ❖ दिव्यांगजनों के दिव्यांगता प्रमाण—पत्र भारत सरकार द्वारा निर्धारित केन्द्रों से निर्गत एंव निर्धारित प्रारूप पर ही मान्य होंगे।
- ❖ निजी क्षेत्र के डेण्टल कालेज/विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थी सम्बन्धित कालेज के बारे में स्वयं अथवा उनके अभिभावक सम्पूर्ण जानकारी अपने स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त ही च्वाइस लॉक करें। अन्यथा की स्थिति में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व अभ्यर्थी के स्वयं का होगा।

०४

- ❖ प्रथम चक्र की काउन्सिलिंग हेतु निर्धारित समय—सारिणी के अनुसार अभ्यर्थी द्वारा राजकीय / निजी क्षेत्र के डेन्टल कालेज की सीटों पर प्रवेश हेतु अपनी वरीयता के आधार पर ऑनलाइन च्वाईस भरी जायेगी। अभ्यर्थी द्वारा उन्हीं कालेजों की च्वाईस भरी जाये, जिनमें प्रवेश हेतु वह इच्छुक है। ऑनलाइन च्वाईस फिलिंग की कोई सीमा निर्धारित नहीं है।
- ❖ ऑनलाइन च्वाईस फिलिंग के पश्चात् च्वाईस लॉक करना अनिवार्य है। अन्यथा की स्थिति में समय सारिणी में निर्धारित समयावधि के पश्चात् अभ्यर्थी द्वारा भरी गयी च्वाईस स्वतः लॉक हो जायेगी।
- ❖ निजी क्षेत्र के डेन्टल कालेजों में आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों को शासन/अल्पसंख्यक संस्था द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क (Tuition Fee) महानिदेशक, विकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० लखनऊ (Director General, Medical Education & Training, U.P. Payable at Lucknow) के पक्ष में तैयार सी०टी०एस० बैंक ड्राफ्ट, जो लखनऊ में देय हो, प्रवेश के समय निर्धारित नोडल सेन्टर पर जमा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में प्रवेश स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- ❖ राजकीय क्षेत्र के मेडिकल कालेजों में आवंटित अभ्यर्थियों की प्रवेश प्रक्रिया सम्बन्धित कालेज में पूर्ण की जायेगी।
- ❖ निजी क्षेत्र के डेन्टल कालेजों में आवंटित अभ्यर्थियों की प्रवेश प्रक्रिया शासन द्वारा नामित नोडल सेन्टर पर सम्पन्न की जायेगी। नोडल सेन्टर की सूची पृथक से विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी।
- ❖ उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS) के अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करते समय उनका अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS) का प्रमाण पत्र दिनांक 01 अप्रैल, 2024 अथवा इसके पश्चात् का बना होना अनिवार्य है।
- ❖ आरक्षण (अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग) से संबंधित समरत प्रमाण—पत्र उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर उत्तर प्रदेश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत ही मान्य होंगे।
- ❖ भारत सरकार के अधीन पदों पर प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण पत्र के प्रपत्र पर आरक्षण प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

कृते महानिदेशक

संख्या—एम०ई०—३ / पीजी—२०२४ / १३१९

तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

१. निदेशक, एन०आई०सी० योजना भवन लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना <https://upneet.gov.in> पर प्रदर्शित कराने का कष्ट करें।
२. समस्त संबंधित प्रधानाचार्य / कुलसचिव / निदेशक उ०प्र०।
३. समस्त प्रबन्धक / प्रधानाचार्य निजी क्षेत्र के डेण्टल कालेज उ०प्र०।
४. प्रभारी अधिकारी, छात्रसेल अनुभाग को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना विभागीय वेबसाइट www.dgme.up.gov.in पर प्रदर्शित कराने का कष्ट करें।


कृते महानिदेशक